रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17—जुलाई 23, 2010 (आषाढ़ 26, 1932)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17—JULY 23, 2010 (ASADHA 26, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

चण्डीगढ़, दिनांक 18 जून 2010

सं. एसीसी/पीबी एवं एचपी/ईडीएलआई/एचपी/259--जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम/एलायंज बजाज लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड/मेटलाइफ इंडिया ग्रुप लाइफ इंशोरेंस/अवीवा लाइफ इंशोरेंस/आईएनजी वायश्या लाइफ इंशोरेंस/मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंशोरेंस/टाटा एआईजी लाइफ इंशोरेंस की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-I

क्षेत्र : हिमाचल प्रदेश

क्रमांक	स्थापना का नाम एवं पता	कोड संख्या	छूट की अवधि
1.	मैसर्स जय मूर्ति मिनरल्स एंड कैमिकल्स प्रा. लि. 81-82, इंडस्ट्रियल एरिया, गोंडपुर, पोंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश)	एचपी-11575	01.03.1995 से 28.02.2013
2.	मैसर्स हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खलीणी, शिमला	एचपी-10516	01.09.1995 से 28.02.2013
3.	मैसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड यूनिट-I, 76 इंडस्ट्रियल एरिया, बद्दी	एचपी-18259	01.12.2008 से 28.02.2013
4.	मैसर्स ग्रोर एंड वेल (इंडिया) लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, इंडस्ट्रियल एरिया, बरोटीवाला, जिला सोलन	एचपी-18256	01.04.2007 से 28.02.2013
5.	सेंट ल्यूक्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल, पोस्ट बॉक्स नं. 26, सोलन	एचपी-11608	01.03.1994 से 28.02.2013
6.	वर्धमान स्पिनिंग मिल्स, साईं रोड, बद्दी, जिला सोलन	एचपी-18185	01.03.1999 से 28.02.2013
7.	जी. ए. वी. पब्लिक स्कूल, कांगड़ा	एचपी-11820	01.01.1997 से 28.02.2013
8.	मैसर्स सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बद्दी, खसरा नं. 292, 296, 299, 300 से 303 ग्राम बिलानवाली, हदबस्त नं. 207, तहसील नालागढ़, जिला सोलन	एचपी-3414	01.10.2007 से 28.02.2013

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

2. नियोजक ऐसी निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण के प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाएगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसके बाबत आवश्यक प्रीमियम संबंधित जीवन बीमा कम्पनी को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो संबंधित जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पॉलिसी को व्यपगत होने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए व्यतिक्रम क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में संबंधित जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

वी. एन. शर्मा
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Chandigarh, the 18th June 2010

No. ACC/PB&HP/EDLI Exemption/259—Whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for Exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyments of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/Allianze Bajaj Life Insurance Co. Ltd./Metlife India Group Life Insurance/AVIVA Life Insurance/ING Vysaya Life Insurance/Max New York Life Insurance/TATA AIG Life Insurance Ltd. In the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/CPFC Notification No. and date shown against the name of the each establishments and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme & for further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their Names.

SCHEDULE-I

Region : Himachal Pradesh

Sr. No.	Name of the Establishment & Address	Code No.	Period of Exemption
1.	M/s. Jai Murti Minerals & Chemicals Pvt. Ltd. 81-82, Industrial Area, Gondpur, Paonta Sahib (H.P.)	HP-11575	01.03.1995 to 28.02.2013
2.	M/s. Himachal Pradesh State Electronics Development Corp. Ltd., Khalini, Shimla	HP-10516	01.09.1995 to 28.02.2013
3.	M/s. Spray Engineering Devices Ltd., Unit-I, 76, Industrial Area, Baddi	HP-18259	01.12.2008 to 28.02.2013
4.	M/s. Grauer & Weil (India) Ltd., Plot No. 31-32, Industrial Area, Bariotiwala, Distt. Solan	HP-18256	01.04.2007 to 28.02.2013
5.	St. Luke's Senior Sec. School, Post Box No. 26, Solan	HP-11608	01.03.1994 to 28.02.2013
6.	Vardhman Spinning Mills, Sai Road, Baddi, Distt. Solan	HP-18185	01.03.1999 to 28.02.2013
7.	G.A.V. Public School, Kangra	HP-11820	01.01.1997 to 28.02.2013
8.	M/s. Super Cassette Industries Ltd., Baddi, Khasra No. 292, 296, 299, 300 to 303, Vill. Bilanwali, Hadbast No. 207, The Nalagarh, Distt. Solan	HP-3414	01.10.2007 to 28.02.2013

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishments, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of and establishment the employer shall immediately admit him as member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Insurance Company.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Insurance Scheme of the Insurance Company as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under that scheme are reduced in any manner, the Exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay premium etc. within the due date as fixed by the Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the Exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this Exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Insurance Company shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

V. N. SHARMA
Addl. Central P. F. Commissioner
(PB & HP)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010